उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

RBE No.120/2017
NCR PS No.5165/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Payment on account of discontinued allowances-Daily Officiating Allowance

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2011/FE-4/1 dated 05.09.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

16.X.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

13/9 12/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE-2017-1846
13-9-17

पीसी-VII सं. 56
आरबीई सं. 120/2017

सं. ई(पी एंड ए)I-2011/एफई-4/1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: समाप्त कर दिये गए भत्तों का भुगतान - दैनिक स्थानापन्न भत्ता।

******

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय करते हैं कि सभी उन मौजूदा भत्तों, जिन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफ़ारिश नहीं की गई है, को 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया जाएगा। चूंकि 6 जुलाई, 2017 के उक्त संकल्प में दैनिक स्थानापन्न भत्ते को जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई है इसलिए यह भत्ता 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है।

2. विभाग के अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी सीमा/अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय के प्रधान/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दैनिक स्थानापन्न भत्ते के संवितरण से संबंधित किसी बिल को आहरित नहीं किया जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि समाप्त कर दिये गए भत्ते के संवितरण से संबंधित कोई ऐसा बिल उनको प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे बिल प्राप्त होते है तो उन्हें डीडीओ को वापस लौटा दिया जाना चाहिए और इस बारे में विभाग के अध्यक्ष तथा मुख्य लेखा नियंत्रक को भी सूचित किया जाएगा।

3. इसे रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
12 SEP 2017
महाप्रबन्धक सचिव

CPO
PFA

12/9/2017

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2011/एफई-4/1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

12/09

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

CPO/A 13/09/17
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 56
RBE No. 120/2017

No. E(P&A)I-2011/FE-4/1 New Delhi, dated 05.09.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Payment on account of discontinued allowances – Daily Officiating Allowance.

*****

Consequent upon the decision taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that disbursement of all existing allowances which have not been specifically recommended for continuation in terms of the Ministry of Finance's Resolution dated 6th July, 2017 shall be discontinued from 1st July, 2017. Since, the Daily Officiating Allowance has not been specifically recommended for continuation in the said Resolution dated 6th July, 2017, it ceases to exist with effect from 1st July 2017.

2. It shall be the responsibility of the Heads of the Department to ensure that no bill relating to disbursement in respect of Daily Officiating Allowance is drawn by the Head of Office/Drawing & Disbursing Officers under their purview/jurisdiction. Pay and Accounts Officers shall ensure that no payment is effected if any such bill relating to the disbursement of the discontinued allowance is submitted to them. If such bills are received, they should be returned to the DDO and intimation thereof shall also be given to the Head of the Department and the Chief Controller of Accounts.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2011/FE-4/1 New Delhi, dated 05.09.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2011/FE-4/1 New Delhi, dated 05.09.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).